सुभाष कुमार
आर.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तराखण्ड शासन

अर्द्ध शा.पत्र सं. 3134
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
देहरादून-248001
दूरभाष : 0135-2669203
फैक्स : 0135-2669384

दिनांक 11/09/2014

विगत समय में विभिन्न स्तरों से और स्वयं राजस्व परिषद स्तर पर निगरानी एवं अपीलों की सुनवाई के दौरान प्रतीत हुआ है कि राजस्व न्यायालयों में न्यायिक कार्यों के स्तर व गुणवत्ता में निरन्तर गिरावट आई है। न्यायिक कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी इस कार्य को आवश्यकतानुरूप समय नही दे पा रहे हैं, फलतः हजारों राजस्व वाद/कार्यवाहियाँ विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक रूप से लम्बित चले आ रहे है जिससे जनता के समय व धन दोनों की क्षति हो रही है। न्याय में देरी होने के कारण उसकी सार्थकता प्रभावित हो रही है जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि **"Justice delayed is justice denied".**

पर्यवेक्षक स्तरों पर न्यायिक कार्यों की समीक्षा होना भी दृष्टिगोचर नही होता है। कलेक्टर व आयुक्त स्तर पर निश्चित समय अन्तराल में न्यायिक कार्यों की समीक्षा किये जाने का प्राविधान है परन्तु वर्तमान में इसका अनुसरण नही किया जा रहा है।

कई प्रकरणों में यह भी देखने को मिलता है कि निर्णय देते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके आधारभूत न्यायिक सिद्वान्तों की उपेक्षा की जा रही है। नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के मूल नियमों का आवश्यक रूप से पालन अनिवार्य है:-

- **The hearing rule-** पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए विशेष रूप से उस व्यक्ति को जिसका हित प्रतिकूल तरीके से प्रभावित हो रहा हो।

- **The bias rule-** पीठासीन अधिकारियों द्वारा बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए पक्षपात रहित होकर सुनवाई की जाए तथा Fairness के सिद्वान्त का अनुपालन किया जाए।
- अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर एवं उनका पूर्ण संज्ञान लेते हुए निर्णय में इसका समावेश कर सकारण व सुव्यक्त निर्णय (Speaking order) पारित किया जाए।
- पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्वयं हस्तलिखित निर्णय अथवा श्रुतिलेखन द्वारा निर्णय लिखवाने की परम्परा विलुप्त होती जा रही है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्णय/आदेश स्वयं अथवा श्रुतिलेखन द्वारा लिखवाया जाना परमावश्यक है।

कतिपय पीठासीन अधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव है, जिस कारण न्यायिक कार्यों में मूलभूत न्यायिक सिद्वान्तों की भी उपेक्षा की जा रही है। अतः ऐसे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

पीठासीन अधिकारियों का अपने अधीनस्थ स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण परिलक्षित नही हो रहा है। न्यायालय के स्टाफ की बढ़ती सक्रियता भी चिंता का विषय है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पीठासीन अधिकारियों की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहमति से ही अधीनस्थ स्टाफ द्वारा ऐसा किया जा रहा है।

समस्त राजस्व अधिकारियों, जो न्यायिक कार्य करते हैं, को निम्नलिखित आधारभूत तथ्यों को संज्ञान में रखकर न्यायिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है:-

1. सप्ताह में न्यायिक कार्य हेतु पीठासीन अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य दिवस निर्धारित किये जाने चाहिए और यह भी सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि निर्धारित न्यायिक कार्य दिवस पर पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहें।

2. न्यायिक कार्यों के निस्तारण हेतु मानक निर्धारित कर स्टाफ बैठकों में न्यायिक कार्यो की समीक्षा करने की परम्परा पुनर्जीवित की जाए। ताकि कार्य में ढिलाई बरतने वाले पीठासीन अधिकारियों को सचेत कर बैकलॉग को बढ़ने से रोका जा सके। वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के समय भी इसका संज्ञान लिया जाए।

3. न्यायिक गरिमा से समझौता कदापि नही होना चाहिए तथा न्यायिक मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए पीठासीन अधिकारियों द्वारा सभी पक्षों के साथ शालीन व्यवहार किया जाना चाहिए।

4. यदि कोई पीठासीन अधिकारी न्यायिक कार्यों को करने में अक्षम पाया जाता है अथवा अमर्यादित व्यवहार करता है, अथवा सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होती है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायिक कार्यों के अयोग्य घोषित कर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए ताकि ऐसे अधिकारी से न्यायिक अधिकार छीना जा सके।

5. पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णय में नाम एवं पदनाम आवश्यक रूप से लिखे जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में पूर्व में राजस्व परिषद स्तर से दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. आदेश–पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसकी निगरानी में न्यायालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही लिखा जाना चाहिए और पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

अतएव उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत कराने हेतु इस पत्र की प्रति सभी न्यायिक कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध कराएं एवं प्राप्ति की पुष्टि राजस्व परिषद को भेज दें।

भवन्निष्ठ,

(सुभाष कुमार)

1. श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल,
   आयुक्त,
   कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।

2. श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल,
   आयुक्त,
   गढ़वाल मण्डल, पौडी।

3. समस्त जिलाधिकारी(नाम से),
   उत्तराखण्ड।

का. नु.